न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, चूरू

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार गौतम, आर.ए.एस.

अपील संख्या 2021/38 दायर दिनांक 01.04.2021

पालूराम पुत्र श्री रामुराम जाति जाट निवासी सिद्धमुख तहसील सिद्धमुख जिला चूरू।

—अपीलान्ट—

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिद्धमुख जिला चूरू

—रेस्पोडेन्ट—

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 16.03.2021 न्यायालय तहसीलदार सिद्धमुख अंतर्गत एल.आर.एक्ट. 1956 की धारा 75

उपस्थित :—

1. श्री बजरंगलाल शर्मा, अधिवक्ता वास्ते अपीलांट।
2. पैरोकार राज रेस्पोन्डेन्ट

निर्णय दिनांक 20.12.2021

यह अपील श्रीमान जिला कलक्टर महोदय चूरु के न्यायालय से सुनवाई हेतु स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज (ऑनलाईन पोर्टल) की गई। इस अपील में अपीलांट के मुख्य कथन इस प्रकार है:—

1. यह कि निर्णय व आदेश जैर अपील तहसीलदार साहब सिद्धमुख खिलाफ कानून, खिलाफ कायदा खिलाफ वाकेयात मिसल तथा विरूद्ध नियम एवम् न्याय के होने के कारण काबिल इखराजी के है।
2. यह कि पटवारी हल्का सिद्धमुख ने राजनैतिक सह पर अपीलान्ट के खिलाफ एक सूचना इस आशय की तहसीलदार सिद्धमुख को प्रस्तुत की, कि अपीलान्ट ने ख.न. 1310 गेरमुमकीन गौचर के रकबा 0.0150 हैक्टेयर पर नाजायज कब्जा व अतिक्रम कर लिया है जिसके बाबत तहसीलदार साहब सिद्धमुख द्वारा अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया जिसका जबाब अपीलान्ट द्वारा दिनाक 16.3.21 को तहसीलदार सिद्धमुख के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया तथा अपीलान्ट द्वारा अपने जबाब के कथन से तहसीलदार सिद्धमुख को यह निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा ख. नं. 1310 के रकबा 0.0150 हैक्टेयर पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है अपीलान्ट का कब्जा अपनी आवासीय पट्टा भूमि पर है जिसका निश्चय ख.नं. 1310 व उसके

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

चिपती हुई आबादी भूमि ख.नं. 1313 का नाप कर सीमाज्ञान किये जाने पर ही हो सकता है। उक्त जबाब नोटिस प्राप्त हो जाने के बाद तहसीलदार साहब सिद्धमुख ने नपती अथवा सीमाज्ञान की कोई कार्यवाही किये वगैर ही निर्णय व आदेश जैर अपील दिनांक 16.3.21 पारित कर दिया है जो हर सूरत में अपास्त किये जाने योग्य है।

3. यह कि तहसीलदार साहब सिद्धमुख द्वारा अमीलान्ट को दिनाक 16.3.21 को उपस्थित आ कर अपना जबाब प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया था जिस रोज अपीलान्ट द्वारा अपना जबाब भी पेश कर दिया गया मगर तहसीलदार सिद्धमुख ने सारी प्रक्रिया व प्रावधानों को बलाये ताक पर रखते हुए उसी रोज दिनाक 16.3.21 को निर्णय व आदेश पारित कर दिया जो निर्णय व आदेश प्राकृतिक न्याय के सर्व मान्य सिद्धान्त की अनदेखी में पारित किया गया होने के कारण हर प्रकार से अपास्त किये जाने योग्य है।

4. यह कि ख.नं. 1310 के दक्षिण की तरफ ख.नं. 1313 स्थित है जो गैर मुमकिन आबादी है उक्त आबादी भूमि में अपीलान्ट को एक पट्टा संख्या – 1132 दिनांक 30.11.2004 को ग्राम पंचायत सिद्धमुख द्वारा जारी किया हुआ है उक्त पट्टा अपीलान्ट उसके भाई लीलूराम व दूसरे भाई धर्माराम जो कि रामुराम के पुत्रगण है के संयुक्त नाम से जारी किया गया है अपीलान्ट अपनी पट्टा भूमि पर अपने शेष दो भाईयों के साथ काबिज है उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कुड़ा कचरा पड़ा हुआ है तथा अपीलान्ट उक्त भूमि में उपले पाथने का काम करता है अपीलान्ट का उपलो का ढेर उक्त भूमि में पड़ा हुआ है अपीलान्ट व उसके भाईयो की उक्त पट्टा भूमि के चारो तरफ कीकर की लकड़ी डाल कर बाड़ की हुई है जिसे अपीलान्ट व उसके भाई शान्तिपूर्वक अपने कब्जा उपयोग उपभोग में ले रहे है अपीलान्ट ने तहसीलदार साहब सिद्धमुख को यह निवेदन कर दिया था कि अपीलान्ट अपनी पट्टा भूमि पर काबिज है जिसका माप करवाया जा कर सीमाज्ञान करवाया जा सकता है मगर तहसीलदार साहब सिद्धमुख ने हठधर्मी पूर्वक राजनैतिक दबाव से निर्णय व आदेश पारित कर दिया है जो हर सूरत में अपास्त किये जाने योग्य है।

5. यह कि तहसीलदार साहब सिद्धमुख द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व न तो स्वंय द्वारा मौका स्थिति का निरीक्षण किया गया न ही ख.नं. 1310 व ख.नं. 1313 का माप करवाया गया न ही निशानदेही व सीमाज्ञान की कोई कार्यवाही की गई तथा न ही पटवारी हल्का, गिरदावर हल्का व अपीलान्ट के कोई बयान लेखबद्ध किये गये तथा तहसीलदार साहब सिद्धमुख ने अपीलान्ट को अपने साक्ष्य सबूत पेश करने का भी कोई अवसर नहीं दिया ऐसा करके तहसीलदार सिद्धमुख में सभी प्रक्रिया व प्रावधानों को बलाये ताक पर रखते हुए पटवारी हल्का सिद्धमुख द्वारा दी गई रिपोर्ट पर आंख मुंद कर – विश्वास करते हुए धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम की कार्यवाही करते हुए निर्णय व आदेश जैर अपील पारित कर दिया है जो हर सूरत में अपास्त किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

6. यह कि तहसीलदार साहब सिद्धमुख ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर दिनांक 16.3.21 की पेशी के लिए अपीलान्ट को नोटिस जारी किया था तथा उसी रोज अन्य कोई कार्यवाही किये वगैर निर्णय व आदेश जैर अपील पारित कर दिया निर्णय व आदेश जैर अपील के अवलोकन से भी यह तथ्य स्पष्ट है कि निर्णय व आदेश जैर अपील एक छपे हुए फार्म पर तहसीलदार सिद्धमुख के कर्मचारी द्वारा पैन से रिक्तीयों की पूर्ति करते हुए जारी किया गया है जो निर्णय व आदेश किसी भी प्रकार से निर्णय व आदेश की तारिफ में नहीं आता है। तहसीलदार सिद्धमुख ने बिना अपने विधिक विवेक का कोई उपयोग किए मनमाने रूप से राजनैतिक सह पर निर्णय व आदेश जैर अपील पारित कर दिया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

7. यह कि अपीलान्ट उसके भाई व उनके अन्य परिवारजन ख.नं. 1313 की गैरमुमकिन आबादी भूमि पर अपनी पट्टा भूमि पर काबिज है जिसे अपने शान्तिपूर्वक कब्जा उपयोग व उपभोग में ले रहे है ख.नं. 1313 की आबादी भूमि में अपीलान्ट व उसके परिवारजनों का एक बहुत पुराना व बड़ा कुण्ड अरसा करीब 60–70 साल पहले का बना हुआ है उक्त कुण्ड के उत्तर–पूर्व में 20–25 फुट के फासले पर अपीलान्ट व उसके भाईयो की पट्टा भूमि स्थित है जिसे तहसीलदार सिद्धमुख द्वारा नाहक ख.नं. 1310 की भूमि होना मानते हुए निर्णय व आदेश जैर अपील पारित कर दिया है जो हर सूरत में अपास्त किये जाने योग्य है।

8. यह कि तहसीलदार सिद्धमुख अदालतवाला की क्षैत्रीय अधिकारिता में अवस्थित है अदालतवाला को अपील हाजा के श्रवणाधिकार प्राप्त है अपील हाजा हर प्रकार से अन्दर मियाद उचित कोर्टफीस पर प्रस्तुत है।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिद्धमुख की मिसल सं0 02/2021 तलब की गई।

अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को अपनी बहस में दोहराते हुए कहा कि अपीलान्ट ने ख.न. 1310 गेरमुमकीन गौचर के रकबा 0.0150 हैक्टेयर पर नाजायज कब्जा व अतिक्रम कर लिया है जिसके बाबत तहसीलदार साहब सिद्धमुख द्वारा अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया जिसका जबाब अपीलान्ट द्वारा दिनाक 16.3.21 को तहसीलदार सिद्धमुख के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया तथा अपीलान्ट द्वारा अपने जबाब के कथन से तहसीलदार सिद्धमुख को यह निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा ख. नं. 1310 के रकबा 0.0150 हैक्टेयर पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है अपीलान्ट का कब्जा अपनी आवासीय पट्टा भूमि पर है जिसका निश्चय ख.नं. 1310 व उसके चिपती हुई आबादी भूमि ख.नं. 1313 का नाप कर सीमाज्ञान किये जाने पर ही हो सकता है। उक्त जबाब नोटिस प्राप्त हो जाने के बाद तहसीलदार साहब सिद्धमुख ने नपती अथवा सीमाज्ञान की कोई कार्यवाही किये वगैर ही निर्णय व आदेश जैर अपील दिनांक 16.3.21 पारित कर दिया है जो हर सूरत में अपास्त किये जाने योग्य है। तहसीलदार साहब सिद्धमुख द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व न तो स्वंय द्वारा मौका स्थिति का निरीक्षण किया गया न ही ख.नं. 1310 व ख.नं. 1313 का

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

माप करवाया गया न ही निशानदेही व सीमाज्ञान की कोई कार्यवाही की गई तथा न ही पटवारी हल्का, गिरदावर हल्का व अपीलान्ट के कोई बयान लेखबद्ध किये गये तथा तहसीलदार साहब सिद्धमुख ने अपीलान्ट को अपने साक्ष्य सबूत पेश करने का भी कोई अवसर नहीं देकर निर्णय व आदेश जैर अपील पारित कर दिया है जो हर सूरत में अपास्त किये जाने योग्य हैं।

अपीलांट अधिवक्ता एवं पैरोकार राज की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रिकोर्ड का अवलोकन किया गया, जिसमे तहसीलदार सिद्धमुख ने पत्रावली दर्ज रजिस्टर करते हुए प्रार्थी अपीलान्ट को दिनांक 16.03.2021 को नोटिस जारी किया गया जिसमे प्रार्थी स्वयं/प्लीडर के उपस्थित होने की अपेक्षा की गई। प्रार्थी ने दिनांक 16.03.2021 को स्वयं उपस्थित होकर खसरा नम्बर 1310 कुल तादादी 0.0150 है, पर कोई अतिक्रमण नहीं होना बताया साथ ही सीमाज्ञान करवाने का निवेदन किया, किन्तु तहसीलदार सिद्धमुख ने प्रार्थी अपीलान्ट को इस बाबत सुनवाई अथवा साक्ष्य पेश करने में कोई अवसर नहीं दिया जाना सिद्ध होता हैं। इसलिए तहसीलदार सिद्धमुख का निर्णय उचित प्रतीत नहीं होता। अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार करते हुए तहसीलदार सिद्धमुख का निर्णय दिनांक 16.03.2021 अपास्त करते हुए आदेशित किया जाता है कि प्रश्नगतः पट्टा की भूमि खसरा नम्बर 1313 या 1314 में हैं, का स्पष्ट सीमाज्ञान करावें एवं अपीलांट को सीमाज्ञान में उपस्थित होने का अवसर देते हुए मौका फर्द बनाई जाकर व सुनवाई का अवसर देते हुए निर्धारित प्रारूप में निर्णय पारित न करके स्पष्ट एवं विवेक का उपयोग करते हुए निर्णय पारित करें।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य तहसीलदार सिद्धमुख के निर्णय को निरस्त करते हुए प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार की मूल पत्रावली निर्णय की प्रति संलग्न कर भिजवायी जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो। पत्रावली बाद कार्यवाही अभिलेखागार भिजवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

(लोकेश कुमार गौतम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
चूरू

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू